रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2549] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 2018/आषाढ़ 15, 1940
No. 2549] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 2018/ASHADHA 15, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2018

का.आ. 3303(अ).— केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तमिलनाडु राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

क्रम सं.	सदस्य	प्रास्थिति
1.	प्रधान सचिव, पर्यावरण और वन विभाग, तमिलनाडु सरकार, चैन्नई – 600009	पदेन अध्यक्ष;
2.	पर्यावरण निदेशक, तमिलनाडु सरकार, पनगल बिल्डिंग, सैदापेट चैन्नई – 600015	पदेन सदस्य सचिव;
3.	नगर और ग्राम योजना निदेशक/आयुक्त, तमिलनाडु सरकार, 807, अन्ना सलाई, चैन्नई – 600002	पदेन सदस्य;
4.	मत्स्य निदेशक/आयुक्त, तमिलनाडु सरकार, तेनापेट, चैन्नई - 600006	पदेन सदस्य;
5.	सदस्य सचिव, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गिन्डी, चैन्नई 600032	पदेन सदस्य;
6.	सदस्य सचिव, चैन्नई महानगर विकास प्राधिकरण, इगमौर, चैन्नई - 600008	पदेन सदस्य;
7.	क्षेत्रीय निदेशक,	पदेन सदस्य;

	केंद्रीय भूजल बोर्ड, राजाजी भवन, बंसत नगर, चैन्नई 600090	
	विशेषज्ञ सदस्य	
8.	डा. एस.एस. रामकृष्णन, निदेशक, दूरस्थ संवेदी संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई-600025	सदस्य;
9.	डा. एस.एस.पौलराज, आईएफएस, वन संरक्षक (सेवानिवृत्त), सं. 164, छठवां स्ट्रीट, कांबर नगर, जवाहर नगर पोस्ट, चैन्नई -- 600082	सदस्य;
10.	डा. आर. वेंकटेसन, वैज्ञानिक 'जी' और समूह प्रमुख-समुद्र संप्रेक्षण प्रणाली राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, चैन्नई—600100	सदस्य;
11.	डा. नेहरु कुमार वैथिलिंगम, निदेशक, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा केंद्र, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलई नगर-608002, तमिलनाडु	सदस्य सचिव;
	गैर-सरकारी संस्था सदस्य	
12.	डा.वी.सेल्वम, कार्यपालक निदेशक, एम.एस.स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट, तारामणि संस्थागत क्षेत्र, तारामणि, चैन्नई-60013	सदस्य;

2. प्राधिकरण का मुख्यालय मुंबई में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति, इसके सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगा ।

4. पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को, केंद्रीय सरकार द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

5. प्राधिकरण, तमिलनाडु राज्य में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:—

(i) प्राधिकरण, परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्ति के पश्चात्, यदि वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसरण में हैं और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई तटीय विनिमय जोन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अपेक्षाओं के भीतर है तो उसका परीक्षण करेगा और संबद्ध प्राधिकरण ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर सिफारिश करेगा;

(ii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार तटीय विनिमय जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा;

(iii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन और मानीटरी के लिए उत्तरदायी होगा;

(iv) प्राधिकरण, तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उस पर विनिर्दिष्ट सिफारिश देगा;

(v) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण के मामलों में जांच करेगा और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण या उल्लंघन को अंतर्वलित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा;

(vi) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करेगा;

(vii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए प्राधिकृत है;

(viii) प्राधिकरण, उसके समक्ष तथ्यों को सत्यापित करने के लिए जैसा अपेक्षित है, उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करेगा ।

6. प्राधिकरण, अपने कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्य, जिसके अंतर्गत बैठकों में कार्यसूची, बैठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठकों में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण तथा उल्लंघन के मामलों में सिफारिशें और ऐसे अतिक्रमण तथा उल्लंघन पर की गई कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश हैं और राज्य सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना से संबंधित सूचना डालेगा ।

7. प्राधिकरण छह माह में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा ।

[फा.सं. जे-17011/18/1996 आईए-III(भाग)]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 6th July, 2018

S.O. 3303(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections **(1)** and (3) of section 3 of the Environment(Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Tamil Nadu Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

S.No.	Members	Status
(1)	(2)	(3)
1.	Principal Secretary, Environment and Forests Department, Government of Tamil Nadu, Chennai-600009	Chairman, ex-officio;
2.	Director of Environment, Government of Tamil Nadu, Panagal Building, Saidapet, Chennai-600015	Member Secretary, ex-officio;
3.	Director / Commissioner of Town and Country Planning, Government of Tamil Nadu, 807, Anna Salai, Chennai-600002	Member, ex-officio;
4.	Director/Commissioner of Fisheries, Government of Tamil Nadu, Teynapet, Chennai-600006	Member, ex-officio;
5.	Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board,	Member, ex-officio;

	Guindy, Chennai-600032	
6.	Member Secretary, Chennai Metropolitan Development Authority, Egmore, Chennai-600008	Member, ex-officio;
7.	Regional Director, Central Groundwater Board, Rajaji Bhavan, Besant Nagar, Chennai-600090.	Member, ex-officio;
	Experts Members	
8.	Dr.S.S.Ramakrishnan, Director, Institute of Remote Sensing, Anna University, Chennai-600025	Member;
9.	Dr.S.Paulraj, IFS, Conservator of Forests (Retired), No.164, 6th Street, Kambar Nagar, Jawahar Nagar Post, Chennai-600082	Member;
10.	Dr.R.Venkatesan, Scientist G & Group Head-Ocean Observation Systems, National Institute of Ocean Technology (NIOT), Ministry of Earth Sciences, Chennai-600100	Member;
11.	Dr.Nehru Kumar Vaithilingam, Director, Centre for Environment, Health and Safety, Annamalai University, Annamalai Nagar-608002, Tamil Nadu	Member Secretary;
	Non-Government Organisation Member	
12.	Dr.V.Selvam, Executive Director, M.S.Swaminathan Research Foundation, 3rd Cross Street, Taramani Institutional Area, Taramani, Chennai-600113	Member;

2. The Authority shall have its headquarters at Chennai.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.

4. A Member, other than an ex-officio Member, shall be paid allowances as per the norms fixed by the Central Government.

5. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the costal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Tamil Nadu, take the following measures, namely:—

(i) the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Governments of India in the Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;

(ii) the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

(iv) the Authority shall examine the proposals received from the State Government for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone

Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

(v) the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder; and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder;

(vi) the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation;

(vii) the Authority is authorised to file complaints under section 19 of the said Act;

(viii) the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.

6. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meetings, recommendations for matters on violations and contravention of the said notification and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the Courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.

7. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F.No.J-17011/18/1996-IA.III(pt.)
RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.